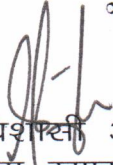


चैक लिस्ट

प्रमाणित किया जाता है कि सभी प्रमाण पत्र चैक लिस्ट के अनुसार लगाये गये हैं ।


सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड ला०नि०वि०
रानी न


अधिशिष्टी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड ला०नि०वि०
रानीखेत

फैक्ट लिस्ट

1 परियोजना का नाम जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत चमडखान - कनोली -सैलापानी मोटर मार्ग का निर्माण

2 प्रभावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

क	आरक्षित वन भूमि --	0.00
ख	सिविल एवं सोयम वन भूमि --	0.150 "
ग	वन पंचायत भूमि--	0.248
घ	योग	0.398
ड	निजी भूमि --	6.802

3 प्रस्तावक विभाग का नाम -- प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,रानीखेत

4 वन प्रभाग का नाम -- अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

5 प्रस्ताव बाइंडिंग किया गया है--

हाँ / नहीं

6 प्रस्ताव में बिषय सूची भरी गई है--

हाँ / नहीं

7 क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग 1,2 व 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गई है--

हाँ / नहीं

8 क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है--

हाँ / नहीं

9 प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है--

हाँ / नहीं

10 प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची/ प्रमाण पत्र संलग्न है--

हाँ / नहीं

11 बॉज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न है-- बॉज वृक्ष प्रभावित नहीं होते हैं।

हाँ / नहीं

12 प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया गया--

हाँ / नहीं

13 समरेखन में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है--

हाँ / नहीं

14 क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है।

हाँ / नहीं

15 क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपड़ की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है। - है, से क्षतिपूरक वृक्षारोपड़

हाँ / नहीं

16 क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपड़ स्थल को दर्शाया गया है।

हाँ / नहीं

17 प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर/ परियोजना के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपड़ योजना संलग्न है--

हाँ / नहीं

18 क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है--

हाँ / नहीं

19 प्रस्तावित क्षेत्र हाथी करीडोर का हिस्सा है। यदि हाँ तो मुख्य वन्य प्रतिपालक का प्रमाण पत्र संलग्न है --

हाँ / नहीं

20 क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा है --

हाँ / नहीं

- 21 प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है (यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है तो पूर्व जारी भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें) - ~~प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है~~ ~~हाँ~~ / ~~नहीं~~
- 22 क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग अलग रंगों से भरा गया है -- ~~हाँ~~ / ~~नहीं~~
- 23 यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है -- ~~हाँ~~ / ~~नहीं~~
- 24 क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन हुआ है। ~~हाँ~~ / ~~नहीं~~
- 25 यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुए दोषी अधिकारियों / कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय -- ~~हाँ~~ / ~~नहीं~~
- 26 सड़क निर्माण हेतु तलाशी गई अन्य सम्भावनायें / वैकल्पिक समरेखन मानचित्र पर दर्शाये गये हैं - ~~हाँ~~ / ~~नहीं~~
- 27 वैकल्पिक समरेखनों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाय) ~~हाँ~~ / ~~नहीं~~
- 28 लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप से प्रस्तुत है (5 हे० से अधिक के प्रकरणों में लागू होगी) ~~हाँ~~ / ~~नहीं~~
- 29 मानचित्र व बार चार्ट में एकरूपता है -- ~~हाँ~~ / ~~नहीं~~
- 30 मलुवे का निस्तारण मय मानचित्र सहित अथवा मलुवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र संलग्न है। ~~हाँ~~ / ~~नहीं~~
- 31 राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है -- ~~हाँ~~ / ~~नहीं~~
- 32 क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियाँ मूल में संलग्न है। यदि छाया प्रतियाँ संलग्न की गई हैं तो क्या वे सत्यापित हैं -- ~~हाँ~~ / ~~नहीं~~
- 33 यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न है -- ~~हाँ~~ / ~~नहीं~~
- 34 वित्तीय / प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है -- ~~हाँ~~ / ~~नहीं~~
- 35 क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है -- ~~हाँ~~ / ~~नहीं~~
- 36 क्या बैंक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण पत्र संलग्न हैं -- ~~हाँ~~ / ~~नहीं~~

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फैक्ट शीट एवं बैंक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण पत्र / सूचनायें संलग्न कर दी गई हैं।

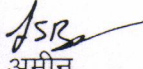
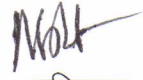
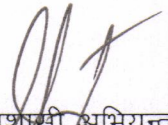
हस्ताक्षर
अधिशायी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
रानीखेत

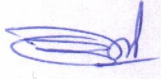
हस्ताक्षर
प्रभागीय वनाधिकारी,

परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत चमडखान – कनोली
–सैलापानी मोटर मार्ग का निर्माण 0.398 है

वन भूमि के मूल्य का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रयोजन हेतु 0.398 हे० वन भूमि का वर्तमान बाजार दर से मूल्य रुपये 934375 प्रति हे० है तथा वन भूमि का कुल मूल्य रु० 371881.00 होता है तथा वार्षिक लीज रेंट शून्य प्रतिशत की दर से शून्य रु० होता है।

			
अमीन	कनिष्ठ अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशोषी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत	रानीखेत	रानीखेत	रानीखेत


पटवारी


तहसीलदार राणीखेत
जिला अधिकारी (उत्तरांचल)


उपजिलाधिकारी
रानीखेत


जिलाधिकारी
अल्मोड़ा

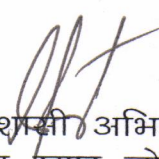
2.44 E

(81)

मलुवा निस्तारण योजना हेतु धनराशि देयता का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम:— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत चमडखान — कनोली
—सैलापानी मोटर मार्ग का निर्माण

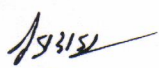
प्रमाणित किया जाता है कि मलुवा निस्तारण स्थलो के पुर्नवास हेतु वनीकरण /अभियांत्रिक कार्यों की योजना हेतु जो भी धनराशि की मांग की जाएगी वह वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी जाएगी।


अधिसूची अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
रानीखेत

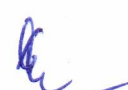
परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत चमडखान — कनोली
—सैलापानी मोटर मार्ग का निर्माण 0.398 है०

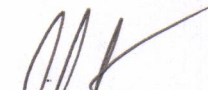
स्थल विशिष्ट होने न होने का प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित स्थल स्थलीय विशिष्ट है।

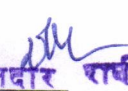

अमीन
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत

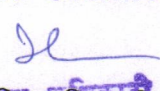

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत

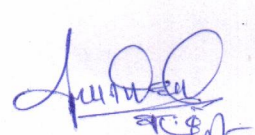

अधीक्षक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत


पटवारी


तहसीलदार
रानीखेत (उत्तरांचल)


उपजिलाधिकारी
रानीखेत


प्रति हस्ताक्षरित
जिलाधिकारी
अल्मोड़ा


वन दरोगा
वन क्षेत्राधिकारी
अल्मोड़ा


उपप्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा


प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत चमडखान - कनोली
-सैलापानी मोटर मार्ग का निर्माण

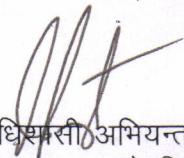
पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता हुई तो प्रयोक्ता एजेन्सी पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त कर प्रस्तुत की जायेगी।


अमीन
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत


सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत


अध्यक्ष अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत

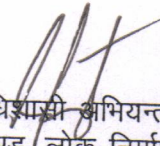
परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत चमड़खान-कनौली-सैलापानी मोटर मार्ग का नव निर्माण। 0.398 है०

तुलनात्मक विवरण

<u>प्रथम समरेखण</u>	<u>द्वितीय समरेखण</u>
1. न्यूनतम वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं, तथा ग्रामवासी की मांग इसी समरेखन पर ही की जा रही है।	1. अधिक वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं तथा ग्रामवासियों को इस समरेखन पर आपत्ति की जा रही है।
2. 204 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।	2. 410 से अधिक वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।
3. नाप भूमि 6.802 है० प्रभावित हो रहे हैं।	3. नाप भूमि 0.802 है० प्रभावित हो रही है।
4. बेनाप भूमि 0.150 है० प्रभावित हो रही है।	4. बेनाप भूमि 2.802 है० प्रभावित हो रही है।
5. वन पंचायत भूमि 0.248 है० प्रभावित हो रही है।	5. पंचायत भूमि 4.00 है० प्रभावित हो रही है।



सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत



अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत



प्रभावीक बनाबिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा